| दिनांक 31.05.2025 |
| --- |
| प्रेस विज्ञप्ति 51/2025 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

## एस0टी0एफ0:–अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह का 01 तस्कर 53 किलो 200 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 26,50,000/–रूपये) के साथ गिरफ्तार।

दिनांक 31–05–2025 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 01 तस्कर को 53 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 26,50,000/– रूपये) के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–**

1– राजेन्द्र यादव पुत्र स्व0 नोपई यादव नि0–भैंसार, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ।

**बरामदगी–**

1– अवैध गांजा लगभग 53 किलो 200 ग्राम (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 26,50,000/– रूपये)

2– 01 अदद पिकप वाहन संख्या UP54 AT 3297

**गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय–**

मुबारकपुर तिराहा थानाक्षेत्र जीयनपुर, आजमगढ, दिनांक 31–05–2025, समय करीब 01:55 बजे।

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाए प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री

प्रमे”ा कुमार शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0, लखनऊ के पर्यवेक्षण में एसटीएफ टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 30—05—2025 को अभिसूचना संकलन के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने वाले गिरोह के सदस्यों द्वारा असम से अवैध गांजा कुरियर के माध्यम से आजमगढ भेजने वाले हैं। इस सूचना पर उपनिरीक्षक जावेद आलम सिददीकी के नेतृत्व में मु0आ0 मृत्युंजय सिंह, मु0आ0 यषवन्त सिंह, मुख्य आरक्षी चालक नागेष मिश्रा की एक टीम अभिसूचना संकलन हेतु जनपद आजमगढ में भ्रमणषील थी तभी मुखबिर द्वारा वही पर आकर सूचना दी गयी कि एक पिकअप आजमगढ की तरफ से आयेगी और जो मनिकाडीह की तरफ जायेगी, जिसमें कोरियर का सामान लदा हुआ है, जिसमें अवैध गांजा मौजूद है। इस सूचना पर तत्काल प्रतिक्रिया करते हुये स्थानीय पुलिस को अवगत कराते हुये मुखबिर को साथ लेकर उक्त स्थान पर पहुंचे एवं मुखबिर की निषादेही पर उक्त पिकअप को पकड कर तलाषी ली गयी, जिसमे उपरोक्त अवैध गांजे की बरामदगी हुयी।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि उसका लडका विजय यादव असम से प्रवित्र वर्मन निवासी बरपेटा रोड असम द्वारा कोरियर कम्पनी के माध्यम से बांस की डिलीवरी के नाम पर उनके अन्दर गांजा छिपवाकर मंगवाता है, जिससे किसी को शक भी नही होता है और कम पैसों में गांजा मंगाकर हम अत्यधिक धन अर्जन करते है। मैं काफी दिनो तक असम मे रहा हूं तथा वहां से अलग—अलग प्रकार के माल की डिलीवरी कोरियर से मंगाता था। आज दिनांक 30—05—2025 को जो गांजा कोरियर कम्पनी लेकर आयी थी वह मेरे लडके विजय यादव ने मंगवाया था। इस अवैध गांजे की सप्लाई का काम हम लोग काफी समय से कर रहे थे।

विजय यादव व कोरियर कम्पनी व कोरियल डिलीवर करने वालो की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0—199/2025 धारा—8/20/29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना स्थानीय द्वारा सम्पादित की जा रही है।

## जनपद बाराबंकी/थाना कोठी

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटनाओं का अनावरण**
- **चोरी के आभूषण**
- **7200/– रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन**
- **अन्य सामान आदि बरामद**

दिनांक 31.05.2025 को थाना कोठी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर टेड़वा मोड़ तिरहा के पास से 04 अभियुक्तों 1–अनिरूद्ध 2–पवनसुत 3–रामसजीवन 4–मनोज कुमार को गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/नि"ादेही से चोरी के आभूषण, 7200/– रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, अन्य सामान आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कोठी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोठी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोठी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनिरूद्ध निवासी प्यारेपुर सरैया थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी।

2–पवनसुत निवासी प्यारेपुर सरैया थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी।

3–रामसजीवन निवासी प्यारेपुर सरैया थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी।

4–मनोज कुमार निवासी ग्राम गढ़ी थाना रामसनेही घाट जनपद बाराबंकी।

**बरामदगी**

1–चोरी के आभूषण।

2–7200/– रूपये नगद।

3–01 मोबाइल फोन।

4–अन्य सामान आदि।

**कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना बीटा–2**

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 02 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन**
- **02 हजार 500 रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 31.05.2025 को थाना बीटा–2 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एनआरआई कट परिचौक के पास चेकिंग के दौरान कार सवार बदमा"ाों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमा"ाों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–आका"ा घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–कृष्ण 3–राम सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/नि"ाादेही से लूट के 02 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन, 02 हजार 500 रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त आका"ा के विरूद्ध कमि"नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर चोरी, डकैती, हत्या का प्रयास, आबकारी अधिनियम आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना बीटा–2 पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–आका”ा निवासी ग्राम भदेदू थाना राजपुर जनपद चित्रकूट हालपता भंगेल थाना फेस–2 कमि”नरेट गौतमबुद्धनगर।

2–कृष्ण निवासी ग्राम ताजपुर कालाआम थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्द”ाहर हालपता कुण्डाकालोनी भंगेल थाना फेस–2 कमि”नरेट गौतमबुद्धनगर।

3–राम निवासी नगला माधो थाना सोरो जनपद कासगंज हालपता भंगेल थाना फेस–2 कमि”नरेट गौतमबुद्धनगर।

**बरामदगी**

1–लूट के 02 मोबाइल फोन।

2–घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन।

3–02 हजार 500 रूपये नगद।

4–02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

## कमिश्नरेट आगरा/थाना जगदीशपुरा

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 30/31.05.2025 की रात्रि थाना जगदी”ापुरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पैथोली बिचपुरी मार्ग पर चेकिंग के दौरान बदमा”ाों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमा”ाों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–राहुल 2–दिलीप

घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 3–नितिन सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/नि"ादेही से 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त दिलीप के विरूद्ध कमि"नरेट आगरा के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 22 अभियोग व अभियुक्त नितिन के विरूद्ध कमि"नरेट आगरा के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना जगदी"ापुरा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–राहुल निवासी सौरभ नगर बोदला थाना जगदी"ापुरा, आगरा।

2–दिलीप निवासी चौहटना नगला पातीराम थाना जगदी"ापुरा, आगरा।

3–नितिन निवासी सेक्टर–3 आवास विकास कालोनी थाना जगदी"ापुरा, आगरा।

**बरामदगी**

1–01 मोटर साइकिल।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

**जनपद सिद्धार्थनगर/थाना मोहाना**

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 किलो 850 ग्राम अवैध चरस**
- **03 मोबाइल फोन, नगद रूपये**
- **01 कार आदि बरामद**

दिनांक 31.05.2025 को थाना मोहाना व एस0एस0बी0 की संयुक्त टीम द्वारा चिर्रीपुर पुलिया के पास से 02 अभियुक्तों 1–जावेद अली 2–रामकुमार को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/नि"ादेही से 02 किलो 850 ग्राम अवैध चरस, 03 मोबाइल फोन, नगद रूपये, 01 कार आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना मोहाना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1– जावेद अली निवासी गडरखा थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर।

2–रामकुमार निवासी गडरखा थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर।

**बरामदगी**

1–02 किलो 850 ग्राम अवैध चरस।

2–03 मोबाइल फोन, नगद रूपये।

3–01 कार आदि।

**जनपद मीरजापुर/थाना चुनार**

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 20 लाख रूपये (कीमत) के 105 ग्राम अवैध हेरोइन**
- **घटना में प्रयुक्त कार बरामद**

दिनांक 31.05.2025 को थाना चुनार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से अभियुक्त हारून को गिरफ्तार किया गया तथा एक बालअपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/नि"ादेही से लगभग 20 लाख रूपये (कीमत) के 105 ग्राम अवैध हेरोइन, घटना में प्रयुक्त कार बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना चुनार पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—हारून निवासी जसोवर थाना कोतवाली देहात जनपद मीरजापुर।

**बरामदगी**

1—लगभग 20 लाख रूपये (कीमत) के 105 ग्राम अवैध हेरोइन।

2—घटना में प्रयुक्त कार।

- **जनपद आजमगढ़/थाना तरवॉ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना तरवॉ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307 भादवि व सपठित धारा 149 भादवि, 147/148/504/506 के अन्तर्गत अभियुक्त 1—उमे"ा 2—नीरज 3—रामप्रवे"ा 4—रामदुलारे 5—राजन को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद पीलीभीत/थाना हजारा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद पीलीभीत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद पीलीभीत द्वारा थाना हजारा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1—अनूप 2—गुड्डू 3—अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद शाहजहॉपुर/थाना सदर बाजार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद शाहजहॉपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शाहजहॉपुर द्वारा थाना सदर बाजार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–राहुल 2–बबलू को आजीवन कारावास व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बुलन्दशहर/थाना डिबाई (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्द"ाहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्द"ाहर द्वारा थाना डिबाई पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सर्वे"ा को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद महोबा/थाना अजनर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद महोबा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद महोबा द्वारा थाना अजनर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त ि"ावम को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना सिकन्द्राबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 07 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्द"ाहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्द"ाहर द्वारा थाना सिकन्द्राबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–कलुआ उर्फ इकबाल 2–इकराम उर्फ बल्ली को सश्रम आजीवन कारावास व प्रत्येक को 07 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अमेठी/थाना जायस (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 07 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अमेठी द्वारा थाना जायस पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त चन्द्रपाल को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 07 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बस्ती/थाना लालगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 03 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना लालगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अंगद को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 03 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

| |
|---|
| दिनांक 31.05.2025 |
| प्रेस विज्ञप्ति 52/2025 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

**मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 द्वारा विश्व के सबसे बड़े मानव समागम, आस्था का पर्व भव्य, दिव्य, डिजिटल, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित महाकुम्भ–2025 की कॉफी टेबल बुक का किया गया विमोचन**

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 **श्री योगी आदित्यनाथ जी** के कुशल निर्देशन में प्रयागराज के पावन संगम तट पर आयोजित विश्व के सबसे बड़े मानव समागम, आस्था का पर्व भव्य, दिव्य, डिजिटल, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित महाकुम्भ–2025 के सकुशल समापन के उपरान्त महाकुम्भ की विशेषताओं, पुलिस की विभिन्न इकाइयों द्वारा किए गए कार्यों एवं उनके व्यवस्थापन, खोया पाया केन्द्र एवं अन्य व्यवस्थाओं को प्रदर्शित किए जाने हेतु महाकुम्भ–2025 की कॉफी टेबल बुक को उ0प्र0 पुलिस की टीम द्वारा तैयार कराया गया।

आज दिनांक 31–05–2025 को मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 **श्री योगी आदित्यनाथ जी** के द्वारा अपने आवास पर महाकुम्भ–2025 की उक्त कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया है ।

कॉफी टेबल बुक को कुल **11 भागों** में विभाजित किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है:–

1–प्रथम भाग मे कुम्भ की आस्था के इतिहास 2–द्वितीय भाग में विभिन्न अखाड़ों के बारे मे संक्षिप्त जानकारी एवं उनकी पेशवाई 3–तृतीय भाग में विभिन्न पवित्र स्नान 4–चतुर्थ भाग में महाकुंभ की डिजिटल निगरानी हेतु बनाए गए इंटिग्रेटेड कमांड एण्ड कंट्रोल सिस्टम (IIIC) 5–पांचवें भाग में सात स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था 6–छठे भाग में पुलिस की विशेष इकाई जैसे ATS कमांडो, जल पुलिस, स्निफर डॉग, एनएसजी कमांडो आदि के व्यवस्थापन 7–सातवें भाग में डिजास्टर मैनेजमेंट 8–आठवें भाग में खोया पाया केन्द्र 9–नवें भाग में डिजिटल मैनेजमेंट (सोशल मीडिया अन्य समस्त डिजिटल प्लेटफॉर्म) पर

प्रसारित जागरूकता व महाकुम्भ में आए प्रमुख अतिथियों के पॉडकास्ट का विवरण 10–दसवें भाग में प्रयागराज सहित उत्तर प्रदेश के अन्य तीर्थ स्थानों जैसे काशी, मथुरा, अयोध्या आदि का विवरण 11–ग्यारहवें भाग में महाकुम्भ में आए प्रमुख गणमान्य नागरिकों, लीडर्स एवं अति विशिष्ट महानुभावों से सम्बन्धित चुनिन्दा फोटोग्राफ व विवरण को संकलित किया गया है ।